न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2013/00122

1. पन्ना लाल पुत्र श्री धन्ना लाल जाति मीणा निवासी इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   1/1. छीतर लाल पुत्र पन्नालाल जाति मीणा ।
   1/2. राधेश्याम पुत्र पन्नालाल जाति मीणा ।
   1/3. जगदीश पुत्र पन्नालाल जाति मीणा ।
   1/4. रामजानकी पुत्री पन्नालाल जाति मीणा ।
   1/5. लटूरी विधवा पत्नी स्व0 पन्नालाल जाति मीणा निवासीगण ग्राम इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. ईलाही बख्श पुत्र रमजानी जाति मुसलमान निवासी इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
2. राज्य सरकर जरिये तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा ।
3. भंवर लाल (मृतक) पुत्र श्री जीवनलाल जाति मीणा जरिये कायममुकामान :–
   3/1. प्रेमबाई बेवा भंवर लाल ।
   3/2. ओम प्रकाश पुत्र भंवर लाल ।
   3/3. राकेश पुत्र भंवर लाल ।
   3/4. महावीर पुत्र भंवर लाल ।
   3/5. बिन्ता पुत्री भंवर लाल जाति मीणा निवासीगण इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
4. नन्दकिशोर पुत्र जीवन लाल जाति मीणा ।
5. पुरूषोत्तम पुत्र जीवन लाल जाति मीणा ।
6. हेमराज पुत्र जीवन लाल जाति मीणा निवासीगण इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
7. मूर्ति पुत्री जीवन लाल जाति मीणा (मृतक) जरिये कायममुकमान :–
   7/1. मुकेश वलद गोरधनलाल जाति मीणा ।
   7/2. अशोक पुत्र गोरधनलाल जाति मीणा निवासीगण किशनवास अल्लापुर तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
8. कन्या बाई पुत्री जीवन लाल पत्नी रामेश्वर जाति मीणा निवासी ग्राम हथोली तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।

उपस्थित :– 1. श्री हेमन्तकृष्ण विजय, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. पैरोकार सरकार, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 14.09.2021

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, इटावा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.09.2012 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट (मृतक पन्नालाल) एवं रेस्पोडेन्ट क्रम 3 लगायत 8 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा में वादी एवं वादी के भाई श्री जीवन के खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 380 रकबा 03 बीघा 14 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 479 रकबा 09 बीघा 08 बिस्वा स्थित थी । उक्त संयुक्त खातेदारी की आराजी पारिवारिक विभाजन में वादी के हिस्से में आयी जिस पर वादी क्रम 01 ही काश्त करता है । बाद केचमेंट उक्त भूमि के नये खसरा नम्बर 2653 रकबा 10 बीघा 09 बिस्वा अंकित किये गये तथा नया नक्शा बनाया गया एवं उसी के अनुसार मौके पर दखल दिया गया । केचमेंट के बाद सेटलमेंट विभाग द्वारा उक्त आराजी के नये खसरा नम्बर 765 कायम कर रकबा 0.16 हैक्टर वादी के कम दर्ज की गई जिसका सेटलमेंट विभाग को कोई अधिकार नहीं है । सेटलमेंट विभाग ने नक्शे में भी परिवर्तन कर दिया एवं नक्शे में मुख्य नहर की ओर के कौने का नक्शे में एक टुकडा अंकित करके उसका नया नम्बर 766 रकबा 0.05 हैक्टर अंकित कर दिया । सेटलमेंट विभाग द्वारा वादी की आराजी के मुख्य नहर की ओर के कौने में नये नम्बर 766 रकबा 0.05 हैक्अर को प्रतिवादी क्रम 01 की खातेदारी में अंकित कर दिया एवं वादी की आराजी का रिकॉर्ड में 0.16 हैक्टर कम रकबा अंकित किया । वर्तमान में वादी का खसरा नम्बर 765, 766 पर कब्जा है । वादी को अधिकार प्राप्त है कि वादी खसरा नम्बर 766 पर खातेदारी अधिकार प्राप्त कर राजस्व रिकॉर्ड में अपना रकबा 0.16 हैक्टर को पूर्ति करवाये ।

3. अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि खसरा नम्बर 765 का रकबा राजस्व रिकॉर्ड में बढाकर 1.64 हैक्टर अंकित किया जावे एवं शेष 0.05 हैक्टर भूमि के लिए खसरा नम्बर 766 की खातेदारी वादी को दी जावे । प्रतिवादी क्रम 01 के विरूद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि खसरा नम्बर 766 रकबा 0.05 हैक्टर पर वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करें । उक्त कृत्य न तो स्वयं प्रतिवादी क्रम 01 करे और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावे ।

4. प्रतिवादी क्रम 01 ने जवाबदावा प्रस्तुत कर वादीगण के वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए वादीगण का वादपत्र खारिज करने का कथन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 11.09.2012 के द्वारा वाद संख्या 11/03 को समेकित कर दोनों वाद वादीगण खारिज कर दिये।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.09.2012 से व्यथित होकर वादीगण अपीलान्ट (मृतक) पन्ना लाल के वारिसान ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में यह तथ्य पूर्णतया प्रमाणित कर दिया कि

सेटलमेंट विभाग ने अपीलान्ट की भूमि 0.16 हैक्टर कम दर्ज की है । अपीलान्ट का खसरा नम्बर 766 रकबा 0.05 हैक्टर पर कब्जा है । उक्त भूमि सिवायचक में है इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने वादी अपीलान्ट का वाद खारिज किया है जो त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.09.2012 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में अपनी ओर से पैरवी करने हेतु वकील साहब को नियुक्त किया हुआ था और उन्होंने किसी प्रकार का निर्णय होने पर सूचित करने के लिए कहा परन्तु उनके द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं दी गई । उक्त निर्णय एवं डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 24.12.2012 को अपने वकील साहब के पास जाने पर हुई जिस पर उक्त अपीलाधीन निर्णय की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

8. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज दर्ज रजिस्टर की गईं । परीक्षण न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

9. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलान्ट ने परीक्षण न्यायालय में एक दावा पेश किया था और यह कथन किया था कि वादी के खातेदारी की आराजी ग्राम इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा में खसरा नम्बर 380 रकबा 03 बीघा 14 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 479 रकबा 09 बीघा 08 बिस्वा स्थित थी । सेटलमेंट के बाद इनके नये नम्बर 2653 रकबा 10 बीघा 09 बिस्वा कायम किये गये और पुनः सेटलमेंट हुआ जिसमें नये नम्बर 765 रकबा 1.53 हैक्टर कायम किये गये जबकि वादी के खातेदारी की आराजी रकबा 10 बीघा 09 बिस्वा के लिए रकबा 1.69 हैक्टर होना चाहिए था परन्तु 1.53 हैक्टर ही दर्ज किया गया । खसरा नम्बर 766 रकबा 0.05 हैक्टर में अंकित कर दिया जिसका सेटलमेंट विभाग को कोई अधिकार नहीं है । खसरा नम्बर 766 रकबा 0.05 हैक्टर आराजी प्रतिवादी क्रम 01 के खातेदारी में अंकित कर दी गई । प्रतिवादी क्रम 01 कभी भी ग्राम इटावा में नहीं रहे हैं । वादग्रस्त आराजी पर कब्जा अपीलान्ट का है । रेस्पोडेन्ट क्रम 01 को जो आवंटन किया गया था वो प्रथमदृष्टया गलत था । इस प्रकरण में खसरा नम्बर 296, 359 और 1482 का मिलान क्षेत्रफल पेश करने की आवश्यकता नहीं थी । अपीलान्ट को साक्ष्य पेश करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया है । साक्ष्य वादी में तिथि दी गई थी परन्तु कहीं भी अंकित नहीं है कि वादी साक्ष्य में उपस्थित नहीं हुए हैं और दिनांक 17.11.2011 को साक्ष्य वादी बन्द की गई है । खसरा नम्बर 766 का 0.05 हैक्अर रकबा मुख्य सडक पर स्थित है और रेस्पोडेन्ट ने इसको व्यावसायिक संपरिवर्तन करवा लिया है परन्तु दावा दायरी के दिनांक को यह कृषि भूमि थी इस कारण इसका क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को है । तनकीयात की विवेचना विधि सम्मत रूप से नहीं की गई है । तनकियात भी सही रूप से कायम नहीं की गई हैं । परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय में पृष्ठ संख्या 10 में यह माना है कि सेटलमेंट विभाग द्वारा वादीगण और प्रतिवादीगण के आराजियात के नक्शे में कोई प्रतिकूल परिवर्तन नहीं किया है । मौके पर खसरा नम्बर 765 की आराजी 1.61 हैक्टर है व रिकॉर्ड में 1.53 हैक्टर रिकॉर्ड में इसको 1.61 हैक्टर कर और खसरा नम्बर 766 रकबा 0.05 हैक्टर का वादी को खातेदार घोषित कर कमी पूर्ति की जा सकती है । अतः अपील अपीलान्ट

स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.09.2012 निरस्त फरमाया जावे ।

10. रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि परीक्षण न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं दस्तावेजात का विवेचन कर निर्णय पारित किया है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.09.2012 बहाल रखा जावे ।

11. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

12. परीक्षण न्यायालय में वादी के द्वारा एक दावा प्रतिवादी क्रम 01 के खिलाफ हक घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया है । दावे के समर्थन में नकल जमाबन्दी संवत् 2029–32 प्रदर्श– 1 पेश की है जिसके अनुसार जीवनलाल एवं पन्ना लाल के खाते में कुल 05 किता की 32 बीघा 06 बिस्वा आराजी दर्ज है जिसमें खसरा नम्बर 380 और 479 शामिल है । नकल जमाबन्दी संवत् 2050–53 प्रदर्श–2 संलग्न है जिसके अनुसार कुल 04 किता की 4.74 हैक्टर आराजी वादीगण के खाते में दर्ज जिसमें खसरा नम्बर 765 की रकबा 1.53 हैक्टर आराजी शामिल है । नकल जमाबन्दी प्रदर्श– 3 के अनुसार प्रतिवादी के खाते में खसरा नम्बर 766 की रकबा 0.05 हैक्टर आराजी दर्ज है । कृषक सूची के अनुसार जीवनलाल, पन्नालाल आत्मज धन्ना मीणा के खाते में केचमेंट के बाद नवीन खसरा नम्बर 2653 रकबा 10 बीघा 09 बिस्वा दर्ज है । नकल नक्शा ट्रेस प्रदर्श– 5 एवं 6, नोटिस की प्रति प्रदर्श–7, डाक विभाग की रसीद प्रदर्श– 8 व 9 हैं । इसके साथ ही नकल जमाबन्दी प्रदर्श–पी–10 पेश की गई है जिसके अनुसार कुल 05 किता की 32 बीघा 09 बिस्वा जीवनलाल, पन्नालाल के खाते में दर्ज है । नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श– पी–11 जिसके अनुसार साबिक खसरा नम्बर 2653 रकबा 10 बीघा 09 बिस्वा का हाल खसरा नम्बर 765 रकबा 1.53 हैक्टरी कायम किया गया है । नकल जमाबन्दी भू–प्रबन्ध विभाग संवत् 2041–2060 प्रदर्श– पी–12 के अनुसार कुल 04 किता की रकबा 4.64 हैक्टर आराजी जीवनलाल, पन्नालाल पुत्र धन्ना के खाते में दर्ज है । प्रदर्श–पी–11 मिलान क्षेत्रफल की नकल है जिसके अनुसार हाल खसरा नम्बर 766 साबिक खसरा नम्बर 2652 से बना है और खसरा नम्बर 765 साबिक खसरा नम्बर 2653 से बना है । प्रदर्श– पी–13 नक्शा ट्रेस की प्रति है, प्रदर्श–पी–14 नकल जमाबन्दी संवत् 2036–39 है जिसके अनुसार इलाहीबख्श प्रतिवादी क्रम 01 के गैर खातेदारी में 02 किता की 09 बीघा 05 बिस्वा आराजी दर्ज है इसमें नामान्तरकरण संख्या 89 और 123 का नोट अंकित है । प्रदर्श– पी–15 नकल मिलान क्षेत्रफल जिसके अनुसार साबिक खसरा नम्बर 39 व 40 मिन के हाल खसरा नम्बर 44 कायम हुए हैं । प्रदर्श– पी– 16 नक्शा ट्रेस की नकल है । प्रदर्श– पी–17 नकल जमाबन्दी भू–प्रबन्ध विभाग जिसके अनुसार इलाहीबख्श के खाते में नये खसरा नम्बर 44 की रकबा 1.37 हैक्टर भूमि दर्ज है । प्रदर्श– पी– 18 नकल जमाबन्दी संवत् 2041–60 है जिसके अनुसार इलाहीबख्श प्रतिवादी के खाते में हाल खसरा नम्बर 766 की रकबा 0.05 हैक्टर आराजी दर्ज है । प्रदर्श– पी–19 नकल जमाबन्दी संवत् 2033–36 है जिसके अनुसार

खसरा नम्बर 84 की रकबा 29 बीघा 06 बिस्वा आराजी रमजानी पुत्र कादरबख्श के खाते में दर्ज है । प्रदर्श– पी–20 नकल खसरा गिरदावरी की प्रमाणित प्रति है ।

13. वादी की ओर से बयानों में बंशीलाल पीडब्लू–1, जगन्नाथ पीडब्ल्यू–2, राधेश्याम पीडब्ल्यू–3, छीतर लाल पीडब्ल्यू–4 के रूप में शपथ पत्र पेश किये गये हैं परन्तु शपथग्रहिताओं ने न्यायालय में उपस्थित होकर अपने शपथपत्रों की ताईद नहीं की है । यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि राधेश्याम के द्वारा जो शपथ पत्र पेश किया गया है वह पीडब्ल्यू– 3 के रूप में पेश किया गया है जिसमें शपथ पत्र के दूसरे पृष्ठ पर उनके अंगूठा निशानी नहीं हैं ।

14. इस प्रकार पत्रावली पर वादीगण के मौखिक बयान के रूप में मात्र शपथ पत्र पेश किये गये हैं। इन शपथ पत्रों की न्यायालय में शपथग्रहिताओं ने उपस्थित होकर ताईद नहीं की गई है जो सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार अनिवार्य है । साथ ही राधेश्याम का शपथपत्र पीडब्ल्यू– 3 के रूप में संलग्न है जिसमें पृष्ठ संख्या 02 दस्तावेजात के प्रदर्श नम्बर अंकित है जिसमें शपथग्रहिता के हस्ताक्षर भी नहीं हैं ।

15. जो दस्तावेजात प्रदर्श किये गये हैं उनमें प्रदर्श– 1 से प्रदर्श– 9 व प्रदर्श– पी– 10 से पी–20 अंकित हैं परन्तु राधेश्याम पीडब्ल्यू– 3 ने जो शपथ पत्र पेश किया है उसके पृष्ठ संख्या 02 पर प्रदर्श – 1 सें प्रदर्श– 9 तक के नम्बर अंकित हैं उसके बाद के नम्बर अंकित नहीं हैं और इस पृष्ठ पर किसी के हस्ताक्षर नहीं हैं । इस प्रकार वादी की मौखिक साक्ष्य सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार नहीं ली गई है । यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि परीक्षण न्यायालय ने दो दावों को समेकित कर यह निर्णय पारित किया है परन्तु दूसरे दावे की पत्रावली इस पत्रावली के साथ नत्थी नहीं की गई है । दावा समेकित होने पर दोनों पत्रावलियों का एक साथ समेकित रखा जाना अनिवार्य होता है । इन समस्त तथ्यों के आधार पर परीक्षण न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से खारिज होने योग्य है ।

16. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.09.2012 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि पैरा संख्या 15 व 16 में किये गये विवेचन के मध्य नजर दोनों दावों की पत्रावलियों को समेकित रूप से रखते हुए सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार वादी की साक्ष्य पूर्ण कर प्रतिवादी को भी मौखिक साक्ष्य पेश करने का अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत रूप से पत्रावली प्राप्ति के 06 माह के अन्दर निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 01.11.2021 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

17. निर्णय आज दिनांक 14.09.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

14/9/2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा